

प्रश्न: भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मुख्य महत्व को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

भारतीय संविधान की प्रस्तावना (Preamble) संविधान का वह परिचयात्मक दस्तावेज है जो संविधान के मूल आदर्शों, दर्शन और उद्देश्यों को प्रस्तुत करता है। इसे संविधान की 'आत्मा' और 'कुंजी' भी कहा जाता है।

प्रस्तावना का मुख्य महत्व निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट होता है:

- **संविधान के स्रोत का ज्ञान:** प्रस्तावना यह स्पष्ट करती है कि संविधान की शक्ति का अंतिम स्रोत 'भारत की जनता' है। इसकी शुरुआत "हम भारत के लोग" से होती है, जो लोकतंत्र की सर्वोच्चता को दर्शाता है।
- **राज्य की प्रकृति का निर्धारण:** यह भारत को एक सम्पूर्ण प्रमुख-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में परिभाषित करती है, जो देश के शासन के स्वरूप को स्पष्ट करता है।
- **मुख्य उद्देश्यों की घोषणा:** प्रस्तावना नागरिकों के लिए चार प्रमुख लक्ष्यों को सुनिश्चित करती है:
 1. न्याय: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक।
 2. स्वतंत्रता: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की।
 3. समता: प्रतिष्ठा और अवसर की।
 4. बंधुत्व: व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाला भाईचारा।
- **संविधान की व्याख्या में सहायक:** न्यायपालिका के अनुसार, यदि संविधान की किसी धारा की भाषा संदिग्ध हो, तो उसकी व्याख्या के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। यह 'बेरुबारी' और 'केशवानंद भारती' के समें स्पष्ट किया गया है।
- **संविधान का संक्षिप्त दर्शन:** यह कम शब्दों में पूरे संविधान का सार प्रस्तुत करती है, जिससे यह पता चलता है कि हमारे संविधान निर्माता भारत को कैसा देश बनाना चाहते थे।

निष्कर्ष: संक्षेप में, प्रस्तावना केवल एक औपचारिक हिस्सा नहीं है, बल्कि यह वह मार्गदर्शक सिद्धांत है जो भारतीय लोकतंत्र के नैतिक और राजनीतिक आधार को मजबूती प्रदान करता है।

Question: Explain the main significance of the Preamble of the Indian Constitution.

Answer:

The Preamble of the Indian Constitution is the introductory document of the Constitution that presents the fundamental ideals, philosophy, and objectives of the Constitution. It is also called the 'Soul' and 'Key' of the Constitution.

The main significance of the Preamble is evident from the following points:

Knowledge of the Source of the Constitution: The Preamble clarifies that the ultimate source of the Constitution's authority is the 'People of India'. It begins with the words "We, the People of India," which reflects the supremacy of democracy.

Determination of the Nature of the State: It defines India as a Sovereign, Socialist, Secular, Democratic Republic, which clarifies the nature of the country's governance.

Declaration of Main Objectives: The Preamble ensures four major goals for the citizens:

Justice: Social, economic, and political.

Liberty: Of thought, expression, belief, faith, and worship.

Equality: Of status and opportunity.

Fraternity: Assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation.

Aid in Interpretation of the Constitution: According to the judiciary, if the language of any article of the Constitution is ambiguous, the Preamble can be referred to for its

interpretation. This was clarified in the 'Berubari' and 'Kesavananda Bharati' cases.

Concise Philosophy of the Constitution: It presents the essence of the entire Constitution in a few words, which shows what kind of country our Constitution makers wanted to establish.

Conclusion: In brief, the Preamble is not just a formal part; rather, it is the guiding principle that provides a strong foundation for the moral and political basis of Indian democracy.